न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 56/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार बाडमेर		परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बलदेव नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 68 RLA Act.

उपस्थिति :– 1. पैरोकार सरकार।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बलदेव नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

आदेश

दिनांक 04-3-21

प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम जाखड़ों की ढाणी पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 140 व 385 में से खसरा संख्या 690/140, 691/140, 777/385 व 778/385 कुल रकबा 05.00 बीघा भूमि का ऐकीकरण कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बलदेव नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी परियोजना निदेषक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बाडमेर ने नोटिस का जवाब इस आशय का उपलब्ध करवाया कि ग्राम जाखड़ों की ढाणी पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के मूल खाता संख्या 140 व 385 में से खसरा संख्या 690/140, 691/140, 777/385 व 778/385 कुल रकबा 05.00 बीघा भूमि का एकीकृत कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित नया का खसरा संख्या 690/140 रकबा 02.12 बीघा तथा खसरा संख्या 778/385 रकबा 02.08 बीघा अंकित कर भारत सरकार भू–तल परिवहन मंत्रालय में दर्ज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। हमने [illegible] का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात [illegible] है कि ग्राम जाखड़ों की ढाणी पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला [illegible] की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या [illegible] 385 में से खसरा संख्या 690/140, 691/140, 777/385 व 778/385 कुल रकबा 05.00 बीघा भूमि भारत सरकार भू–तल परिवहन मंत्रालय के नाम ऐकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.25 16:47:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेषन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम जाखड़ों की ढाणी पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 140 व 385 में से खसरा संख्या 690/140, 691/140, 777/385 व 778/385 कुल रकबा 05.00 बीघा भूमि का एकीकृत कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित नया का खसरा संख्या 690/140 रकबा 02.12 बीघा तथा खसरा संख्या 778/385 रकबा 02.08 बीघा भारत सरकार भू–तल परिवहन मंत्रालय के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करें।

यह आज तारीख 04-3-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 04-3-21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.25 16:47:32 IST
Reason: SelfAttested